न्यायायालय उप जिलाधिकारी, फरीदपुर (बरेली)

वाद सं0 टी20171213 110384

धारा–80(1)उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006
ग्राम: उदयपुर मोहन लाल
तहसील फरीदपुर जिला बरेली

सचिन अग्रवाल आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार।

नकल निर्णय आदेश दिनांक 2-5-17

पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे विदित होता है कि इस वाद की कार्यवाही ट्रस्टी श्री सचिन अग्रवाल पुत्र स्व0 प्रेम नरायन अग्रवाल निवासी 24 रेजीडेन्सी गार्डन बरेली, ट्रस्टी भरत अग्रवाल पुत्र सुधांशु अग्रवाल निवासी रामपुर गार्डन बरेली, ट्रस्टी मनीष गोयल पुत्र सुभाष चन्द्र गोयल नि0 रामपुर गार्डन बरेली के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ हुई। वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि आराजी गाटा संख्या 84मि0, 86मि0 ग्राम उदयपुर मोहनलाल परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली में स्थित है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा व दखल है, एवं अकृषिक कार्य में प्रयुक्त हो रही है। वादी वादग्रस्त आराजी को अकृषिक घोषित कराना चाहता है, तथा माननीय न्यायालय द्वारा अकृषिक घोषित कराया जाना कानूनी रूप से उचित व आवश्यक है। वादग्रस्त आराजी को अकृषिक घोषित किये जाने से राज्य सरकार को भविष्य में पर्याप्त आय स्टाम्प शुल्क आदि के रूप में प्राप्त होने की प्रबल सम्भावना है। वाद ग्रस्त आराजी विवाद रहित है। माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है, तथा माननीय न्यायालय को वाद उपरोक्त की सुनवाई किये जाने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की तहसीलदार फरीदपुर द्वारा जाच कराई गई, जांच आख्या तहसीलदार फरीदपुर दिनाक 22.04.2017 को प्राप्त हुई। तहसीलदार फरीदपुर ने अपनी जांच आख्या में अंकित किया कि ग्राम उदयपुर मोहनलाल के खाता सं0 36 गाटा संख्या 84मि0 रकवा 0.354है0 व खाता सं0 12 गाटा सं0 86मि0 रकवा 1.546है0 में से 0.773 का उपयोग कृषि कार्य बागवानी या पशु पालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य सम्वर्धन कुक्कुट पालन भी आता है, भूमि पर कृषि कार्य नही किया जा रहा है। उक्त क्षेत्रफल अकृषिक है। अतः ग्राम उदयपुर मोहनलाल के खाता सं0 36 गाटा संख्या 84मि0 रकवा 0.354है0 व खाता सं0 12 गाटा सं0 86मि0 रकवा 1.546है0 में से 0.773है0 को उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति सहित रिपोर्ट प्रेषित की गई है। वादी द्वारा उदघोषणा शुल्क जो (जिलाधिकारी बरेली द्वारा निर्धारित सर्किल रेट) राजस्व नियमावली 2016 के अनुसार आगणित शुल्क 37,000/– जो संलग्न पत्रावली चालान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा फरीदपुर में जमा किया जा चुका है। जिसकी प्रति पत्रावली के साथ संलग्न है। तहसीलदार रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथा तहसीलदार की आख्या से सहमत होते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपर्युक्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 03.04.2017 तथा तहसीलदार फरीदपुर की जांच आख्या दिनांक 22.04.2017 स्वीकार की जाती है, भूमि स्थित ग्राम उदयपुर मोहनलाल परगना व तहसील फरीदपुर के खाता सं0 36 गाटा सख्या 84मि0 रकवा 0.354है0 व खाता सं0 12 गाटा सं0 86मि0 रकवा 1.546है0 में से रकवा 0.773है0 अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश की दो प्रति उपनिबन्धक फरीदपुर को इस आशय से भेजी जाये, कि वह प्रश्नगत आराजी को निःशुल्क अकृषिक भूमि पंजीकृत कर अनुपालन उपरान्त एक प्रति न्यायालय को वापस करें, वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:– 2-5-17

हस्ताक्षर अस्पष्ट
(पारस नाथ मौर्य)
उपजिलाधिकारी
फरीदपुर

प्रदीप कुमार 3/5/17

3/5/17

CHARITABLE TRUST BAREILLY
CHAIRMAN

न्यायायालय उप जिलाधिकारी, फरीदपुर (बरेली)

वांद सं0 टी20171213 1103206३ धारा–80(1)उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006

ग्रामः उदयपुर मोहन लाल

तहसील फरीदपुर जिला बरेली

श्री राम चैरेटेबिल ट्रस्ट स्थित ट्रस्टी सचिन अग्रवाल आदि

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

नकल निर्णय आदेश दिनांक 10/8/17

पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे विदित होता है कि इस वाद की कार्यवाही श्री राम चैरेटेबिल ट्रस्ट स्थित ट्रस्टी स्थित 24 रेजीडेन्सी गार्ड स्टेडियम रोड बरेली ट्रस्टी सचिन अग्रवाल पुत्र श्री प्रेमनरायन अग्रवाल निवासी 24 रेजीडेन्सी गार्डन स्टेडियम रोड बरेली एवं भरत अग्रवाल पुत्र श्री सुधांशु अग्रवाल निवासी रामपुर गार्ड बरेली एवं मनीष गोयल पुत्र श्री सुभाष चन्द्र गोयल निवासी रामपुर गार्ड बरेली के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ हुई। वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि आराजी गाटा संख्या 84मि0, 81, व 82 ग्राम उदयपुर मोहनलाल परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली में स्थित है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा व दखल है, एवं अकृषिक कार्य में प्रयुक्त हो रही है। वादी वादग्रस्त आराजी को अकृषिक घोषित कराना चाहता है, तथा माननीय न्यायालय द्वारा अकृषिक घोषित कराया जाना कानूनी रूप से उचित व आवश्यक है। वादग्रस्त आराजी को अकृषिक घोषित किये जाने से राज्य सरकार को भविष्य में पर्याप्त आय स्टाम्प शुल्क आदि के रूप में प्राप्त होने की प्रबल सम्भावना है। वाद ग्रस्त आराजी विवाद रहित है। माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है, तथा माननीय न्यायालय को वाद उपरोक्त की सुनवाई किये जाने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की तहसीलदार फरीदपुर द्वारा जांच कराई गई, जांच आख्या तहसीलदार फरीदपुर दिनांक 09.08.2017 को प्राप्त हुई। तहसीलदार फरीदपुर ने अपनी जांच आख्या में अंकित किया कि ग्राम उदयपुर मोहनलाल के खाता सं0 06 गाटा संख्या 84मि0 रकवा 0.354हे0 में से 1/2 अर्थात 0.177हे0 व खाता सं0 13 गाटा सं0 81 रकवा 0.139हे0 व गाटा सं0 82 रकवा 0.253हे0 कुल रकवा 0.569हे0 का उपयोग कृषि कार्य बागवानी या पशु पालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य सम्वर्धन कुक्कुट पालन भी आता है, भूमि पर कृषि कार्य नही किया जा रहा है। उक्त क्षेत्रफल अकृषिक है। अतः ग्राम उदयपुर मोहनलाल के खाता सं0 06 गाटा संख्या 84मि0 रकवा 0.354हे0 में से 1/2 भाग 0.177हे0 व खाता सं0 13 गाटा सं0 81 रकवा 0.139हे0 व गाटा सं0 82 रकवा 0.253हे0 कुल रकवा 0.569हे0 को उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति सहित रिपोर्ट प्रेषित की गई है। वादी द्वारा उद्घोषणा शुल्क जो (जिलाधिकारी बरेली द्वारा निर्धारित सर्किल रेट) राजस्व नियमावली 2016 के अनुसार आगणित शुल्क 20,000/– जो संलग्न पत्रावली चालान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा फरीदपुर में जमा किया जा चुका है। जिसकी प्रति पत्रावली के साथ संलग्न है। तहसीलदार रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथा तहसीलदार की आख्या से सहमत होते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपर्युक्त के आधार पर वादी गण सचिन अग्रवाल पुत्र श्री प्रेमनरायन अग्रवाल निवासी 24 रेजीडेन्सी गार्डन स्टेडियम रोड बरेली एवं भरत अग्रवाल पुत्र श्री सुधांशू अग्रवाल निवासी रामपुर गार्ड बरेली एवं मनीष गोयल पुत्र श्री सुभाष चन्द्र गोयल निवासी रामपुर गार्ड बरेली का प्रार्थना पत्र दिनांक 03.07.2017 तथा तहसीलदार फरीदपुर की जांच आख्या दिनांक 09.08.

CHAIRMAN

2017 स्वीकार की जाती है, भूमि स्थित ग्राम उदयपुर मोहनलाल परगना व तहसील फरीदपुर के खाता सं0 06 गाटा संख्या 84मि0 रकवा 0.354हे0 में से 1/2 भाग अर्थात 0.177हे0 व खाता सं0 13 गाटा सं0 81 रकवा 0.139हे0 व गाटा सं0 82 रकवा 0.253हे0 कुल रकवा 0.569हे0 अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश की दो प्रति उपनिबन्धक फरीदपुर को इस आशय से भेजी जाये, कि वह प्रश्नगत आराजी को निःशुल्क अकृषिक भूमि पंजीकृत कर अनुपालन उपरान्त एक प्रति न्यायालय को वापस करें, बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः— 10/8/17

ह०/अपठनीय

(कुँवर पंकज)
उपजिलाधिकारी
फरीदपुर

मुकेश बाबू सक्सेना
113 दिनांक 11-8-17
11-8-17
148
लगभग 400 141

CANCELLED
Rs.10
दस रुपये TEN RUPEES
CANCELLED

SHRIRAM CHARITABLE TRUST BAREILLY
CHAIRMAN

न्यायायालय उप जिलाधिकारी, फरीदपुर (बरेली)

वाद सं0 टी2017121311032069

धारा–80(1)उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006
ग्रामः उदयपुर मोहन लाल
तहसील फरीदपुर जिला बरेली

श्री राम चैरेटेबिल ट्रस्ट बनाम उत्तर प्रदेश सरकार।

अन्तिम निर्णय आदेश दिनांक 10-8-17

पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे विदित होता है कि इस वाद की कार्यवाही श्री राम चैरेटेबिल ट्रस्ट स्थित ट्रस्टी स्थित 24 रेजीडेन्सी गार्ड स्टेडियम रोड बरेली ट्रस्टी सचिन अग्रवाल पुत्र श्री प्रेमनरायन अग्रवाल निवासी 24 रेजीडेन्सी गार्डन स्टेडियम रोड बरेली एवं भरत अग्रवाल पुत्र श्री सुधांशू अग्रवाल निवासी रामपुर गार्ड बरेली एवं मनीष गोयल पुत्र श्री सुभाष चन्द्र गोयल निवासी रामपुर गार्ड बरेली के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ हुई। वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि आराजी गाटा संख्या 86मि0 ग्राम उदयपुर मोहनलाल परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली में स्थित है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा व दखल है, एवं अकृषिक कार्य में प्रयुक्त हो रही है। वादी वादग्रस्त आराजी को अकृषिक घोषित कराना चाहता है, तथा माननीय न्यायालय द्वारा अकृषिक घोषित कराया जाना कानूनी रूप से उचित व आवश्यक है। वादग्रस्त आराजी को अकृषिक घोषित किये जाने से राज्य सरकार को भविष्य में पर्याप्त आय स्टाम्प शुल्क आदि के रूप में प्राप्त होने की प्रबल सम्भावना है। वाद ग्रस्त आराजी विवाद रहित है। माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है, तथा माननीय न्यायालय को वाद उपरोक्त की सुनवाई किये जाने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की तहसीलदार फरीदपुर द्वारा जांच कराई गई, जांच आख्या तहसीलदार फरीदपुर दिनांक 09.08.2017 को प्राप्त हुई। तहसीलदार फरीदपुर ने अपनी जांच आख्या में अंकित किया कि ग्राम उदयपुर मोहनलाल के खाता सं0 12 गाटा संख्या 86मि0 रकवा 1.546हे0 में से 0.140हे0 का उपयोग कृषि कार्य बागवानी या पशु पालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य सम्वर्धन कुक्कुट पालन भी आता है, भूमि पर कृषि कार्य नही किया जा रहा है। उक्त क्षेत्रफल अकृषिक है। अतः ग्राम उदयपुर मोहनलाल के खाता सं0 12 गाटा संख्या 86मि0 रकवा 1.546हे0 में से 0.140हे0 को उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति सहित रिपोर्ट प्रेषित की गई है। वादी द्वारा उद्घोषणा शुल्क जो (जिलाधिकारी बरेली द्वारा निर्धारित सर्किल रेट) राजस्व नियमावली 2016 के अनुसार आगणित शुल्क 4,000/– जो संलग्न पत्रावली चालान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा फरीदपुर में जमा किया जा चुका है। जिसकी प्रति पत्रावली के साथ संलग्न है। तहसीलदार रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथा तहसीलदार की आख्या से सहमत होते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपर्युक्त के आधार पर वादी गण सचिन अग्रवाल पुत्र श्री प्रेमनरायन अग्रवाल निवासी 24 रेजीडेन्सी गार्डन स्टेडियम रोड बरेली एवं भरत अग्रवाल पुत्र श्री सुधांशू अग्रवाल निवासी रामपुर गार्ड बरेली एवं मनीष गोयल पुत्र श्री सुभाष चन्द्र गोयल निवासी रामपुर गार्ड बरेली का प्रार्थना पत्र दिनांक 03.07.2017 तथा तहसीलदार फरीदपुर की जांच आख्या दिनांक 09.08.2017 स्वीकार की जाती है, भूमि स्थित ग्राम उदयपुर मोहनलाल परगना व तहसील फरीदपुर के खाता सं0 12 गाटा संख्या 86मि0 रकवा 1.546हे0 में से 0.140हे0 अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश की दो प्रति उपनिबन्धक फरीदपुर को इस आशय से भेजी जाये, कि वह प्रश्नगत आराजी को निःशुल्क अकृषिक भूमि पंजीकृत कर अनुपालन उपरान्त एक प्रति न्यायालय को वापस करें, वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–

हस्ताक्षर अपठित
(कुँवर पंकज)
उपजिलाधिकारी
फरीदपुर